मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक/630/पं.ग्रा.वि.वि./2022/ भोपाल, दिनांक 28/06.2022

प्रति,

1. कलेक्टर,
   जिला - समस्त, म.प्र.।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
   जिला पंचायत - समस्त, म.प्र.।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
   जनपद पंचायत - समस्त, म.प्र.।

विषय - पंचायत क्षेत्र में संपत्ति कर निर्धारण एवं कर संकलन के लिए प्रभावी कार्यवाही किये जाने के संबंध में।

पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनकी स्वयं की आय में निरंतर वृद्धि होना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 में ग्राम सभा तथा पंचायती राज संस्थाओं को विभिन्न अनिवार्य एवं वैकल्पिक कर तथा फीस आदि अधिरोपित तथा संकलित करने का अधिकार प्रदान किया गया है।

ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों को गुणवत्ता पूर्ण जनसुविधायें उपलब्ध कराये जाने हेतु इन करों तथा फीस आदि का अधिरोपण एवं संकलन अतिआवश्यक हो गया है। इस अनुक्रम में सबसे महत्वपूर्ण ग्राम सभा द्वारा अधिरोपित किये जाने वाले अनिवार्य करों में सम्मिलित "संपत्ति कर" है।

इस संबंध में मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 77 क के द्वारा संपत्ति कर को ग्राम सभा द्वारा अधिरोपति किये जाने वाले अनिवार्य कर में सम्मिलित करते हुए अनुसूची 1-क में प्रावधानित किया गया है कि -

(1) निम्नलिखित से भिन्न भूमियों या भवनों या दोनों पर, जिनका पूंजी मूल्य भूमि के मूल्य को सम्मिलित करते हुए, छह हजार रूपये से अधिक हो, संपत्ति कर -

(क) संघ या राज्य सरकार, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत या जिला परिषद के स्वामित्व के या उसमें निहित भवन तथा भूमियां

(ख) अनन्यरूपेण धार्मिक या शैक्षणिक प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाये जाने वाले भवन तथा भूमियां या उनका कोई भाग जिनके अंतर्गत बोर्डिंग हाऊस भी हैं।

उपरोक्तानुसार ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्थित समस्त निजी आवासीय एवं व्यवसायिक संपत्तियों के साथ-साथ ऐसे समस्त संस्थान जो कि निगम, मण्डल, कंपनी, बोर्ड, ट्रस्ट एवं प्राधिकरण आदि के रूप में कार्य कर रहे हैं, जैसे कि विद्युत वितरण कंपनियां, पर्यटन विकास बोर्ड, वनोपज सहकारी संघ, औधोगिक विकास निगम, खनिज विकास निगम, कृषि विपणन बोर्ड आदि की पंचायत क्षेत्र में स्थित संपत्तियों को भी संपत्ति कर निर्धारण एवं संकलन प्रक्रिया में सम्मिलित किया जावे।

(उमाकांत उमराव)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।

पृ. क्रमांक/ 631 /पं.ग्रा.वि.वि./2022/

भोपाल, दिनांक 28/06.2022

प्रतिलिपि -

संचालक सह-आयुक्त, पंचायत राज संचालनालय म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।।

28.6.22

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।